

CERTIFICATE – 2 (प्रमाण पत्र-2)

उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के लिए जाति प्रमाण पत्र का प्रपत्र(UPBC/GDBC)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी सुपुत्र/सुपुत्री
श्रीनिवासी ग्राम
तहसील नगर जिला उत्तर प्रदेश राज्य
की पिछड़ी जाति के व्यक्ति हैं। यह जाति उत्तर प्रदेश लोकसेवा अनुसूचित
जातियों । अनुसूचित जनजातियों तथा पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण अधिनियम, 1994 की अनुसूची- 1
के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है।

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी
उक्त अधिनियम 1994 की अनुसूची-2 (अधिसूचना संख्या -22/16/92-का 02/1995 टी0 सी0
दिनांक 8 दिसम्बर, 1995 द्वारा यथासंशोधित) से आच्छादित नहीं है।

श्री/श्रीमती/कुमारी तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदेश के
ग्राम नगर जिला
..... में सामान्यतया रहता है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

दिनांक

नाम

स्थान

मोहर

जिलाअधिकारी / अतिरिक्त जिलाअधिकारी /

सिटी मजिस्ट्रेट / परगना मजिस्ट्रेट / तहसीलदार

Note that the Certificate No. 2 for OBC candidates will be entertained only if it is issued on or after 01.04.2023 (mandatory due to condition of creamy layer for OBC).